संख्या:- 37/2024/1786/78-1-2024-09आई0टी0/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 06 नवम्बर, 2024

विषयः- मेसर्स पैज़ट इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिये जाने हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आई0टी0/2020, दिनांक 20 अगस्त 2020 द्वारा "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" अधिसूचित की गयी थी। तत्क्रम में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1830/78-1-2022-05आई0टी0/2020, दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा उक्त नीति को संशोधित किया गया है। यह नीति वर्तमान में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के नाम से जानी जाती है।

2- मेसर्स पैज़ट इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ए-23, सेक्टर-60, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, में इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों जैसेकि मोबाइल फोन्स इत्यादि के उत्पादन हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है। निवेशक द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित इकाई में भूमि का मूल्य छोड़कर, लगभग रू0 300 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेसर्स पैज़ट इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित विनिर्माण इकाई की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार वित्तीय प्रोत्साहन हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	उपादान	प्रोत्साहन का विवरण	धनराशि (रू करोड़)	नीति के अन्तर्गत अनुमन्यता (रू करोड़)
1	**पूंजी उपादान** (प्रस्तर 5.1)	**रू0 200 करोड से अधिक तथा रु0 1000 करोड़ से कम निवेशः** स्थिर पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत प्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।	45.00	45.00
2	**स्टाम्प ड्यूटी से छूट** (प्रस्तर 5.3)	न्यूनतम 10 वर्षो के लिए भूमि/ औद्योगिक शेड/ औद्योगिक भवन पट्टे/किराये पर लेने पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.7629	0.3814 वास्तविक आधार पर
3	**इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट** (प्रस्तर 5.6)	**पश्चिमाँचल में**: 50 प्रतिशत छूट 10 वर्ष की अवधि के लिए	वास्तविक आधार पर	वास्तविक आधार पर
4	**भविष्य निधि प्रतिपूर्ति** (प्रस्तर 5.11)	ईएसडीएम प्रोफेशनल्स के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति कार्मिक रु0 2000/- प्रतिमास तथा रु0 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति इकाई की सीमा सहित 5 वर्ष तक केवल महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेन्डर/ दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए	1.25	वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के उपरान्त 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार तथा उत्तर प्रदेश में अधिवास वाले ईएसडीएम प्रोफेशनल्स के लिए (वास्तविक आधार पर)

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निवेशक को अपनी इकाई की स्थापना के संबंध में उक्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निम्न शर्तों के अधीन होगा:-

(i) उक्त प्रोत्साहनों/छूट की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) की सभी शर्तें/प्राविधानों के साथ ही आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सभी सुसंगत शासनादेश/नियम/विनियम आदि भी प्रभावी होंगे तथा प्रोत्साहनों की प्राप्ति के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1922/78-1-2023-05आईटी/2020, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

07 दिसम्बर 2023 में विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में निहित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें लागू होंगी। प्रस्तावित प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) तथा संगत अधिनियम/ नियम/विनियम अदि प्राविधानों के अन्तर्गत ही अनुमन्य होंगे।

(ii) निवेशक द्वारा अपनी परियोजना की स्थापना के क्रम में समस्त प्रभावी स्थानीय कानूनों, अधिनियमों, सरकारी विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) निवेशक द्वारा सम्बन्धित विभाग/संस्था/प्राधिकरण के प्रभावी कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार लागू सभी आवश्यक अनुमति/स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की जायेंगी।

(iv) 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)' की व्यवस्था के अनुरूप, वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु दिनॉक 19 अगस्त 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर किये जाने वाले निवेश ही मान्य होंगे तथा नीति में दी गयी अवधि के अनुसार व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक है।

(v) निवेशक द्वारा समय-समय पर अथवा जब भी शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा आवश्यक हो, परियोजना की अद्यतन स्थिति प्रदान की जायेगी। शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित कोई और जानकारी मांगी जा सकती है और जब भी आवश्यकता होगी, निवेशक द्वारा उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

(vi) निवेशक इकाई को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन/वित्तीय रियायतें उसके द्वारा किये गये स्थिर पूंजी निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन के अनुसार)) की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

(vii) इकाई द्वारा किये गये वास्तविक निवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा किये गये मूल्यॉकन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक देय प्रोत्साहन/छूट अथवा उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आगणन में से जो भी निम्नतर हो, अनुमन्य होंगे।

(viii) इकाई के स्थिर निवेश का आकलन एवँ इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ परियोजना मूल्यॉकन रिपोर्ट, इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वाह्य संस्था (सक्षम वित्तीय संस्थान/बैंक) से तैयार कराई जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ix) वास्तविक पूंजी निवेश के आकलन हेतु वित्तीय लेखों (financial statements) के अतिरिक्त शासन द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए मूल्यॉकन एवं भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

(x) निवेशक के निवेश प्रस्ताव, परियोजना लागत, वित्तपोषण के माध्यम, टाइमलाइन्स इत्यादि में किसी परिवर्तन की दशा में, निवेशक द्वारा नोडल एजेन्सी को पूर्व सूचित किया जायेगा तथा निवेशक के अनुरोध पर नोडल एजेन्सी (आवश्यकता होने पर वाह्य संस्था) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और विचारार्थ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(xi) इस नीति के तहत किसी भी शब्द अथवा प्राविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी संशय के स्पष्टीकरण/समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

5- कृपया उक्त के क्रम में प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या:- 37/2024 /1786(1)/78-1-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
11- अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या:-4/2/10/2024-सी0एक्स(1), दिनांक 04-11-2024 के संदर्भ में।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।